B.A. II Hons Paper - VII

Subject - AI&HS (Ancient history)

Maurya Administration - मौर्य शासन

Page - 1

मौर्य शासकों ने अपने शासन व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए केन्द्रीय शासन प्रणाली व्यवस्था की थी। अपने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से एक विशाल सेना की भी व्यवस्था की गई थी जिसमें सैनिक 6,00,000, हाथी 9,000, घुड़सवार 30,000 थे। इसलिए मौर्य सेना-विभाग स्वाभाविक ही विशाल था। सैन्य में और एक नावों का भी एक दल रहता था। लड़ाकू सैनिकों के अलावा हजारों मजदूर एवं इंजीनियर तथा चिकित्सकों का भी प्रबन्ध था।

इस विशाल सेना के लिए एक अलग विभाग की व्यवस्था था जिसमें 30 सदस्यों की एक समिति थी और इस समिति के अन्तर्गत छः सदस्यों की पाँच उपसमितियां थी जो सेना के उपर्युक्त, पाँचों विभागों के लिए पृथक रूप से उत्तरदायी थी। चन्द्रगुप्त के शासन काल में भारत का सैनिकशक्ति यूनान और मध्य एशिया आदि बड़े-बड़े देशों की सेनाओं से अधिक श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली थी। अर्थशास्त्र में इन समितियों का उल्लेख नहीं है। किन्तु विविध सेना विभागों के अध्यक्षों के कार्य बताये गए हैं। रथाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष और हस्तिअध्यक्ष के कार्य उनके नाम से ही विदित हो जाते हैं। दुर्गपाल किलों के सुरक्षा का इंतजाम करता था एवं आयुधागाराध्यक्ष शस्त्रास्त्रों का। सरहद के रक्षा के लिए जो "अन्तपाल" नियुक्त किए जाते थे, वे सेना विभाग से ही संबंध था। प्रवेशानुमति-विभाग (Passport Department) की भी वैसी ही स्थिति थी। गुप्तचर विभाग आज-कल के समान सेना का एक महत्वपूर्ण अंग था जिसमें सन्यासी, जादूगर, ज्योतिषी, नर्तकियां इत्यादि के रूप में अनेक लोग नियुक्त किए जाते थे।

प्रशासकीय विभाग :→

(1) माल-विभाग → (Revenue Department) → यह विभाग समाहर्ता के अधीन रहता था। यह जमीन-महसूल, नहर-कर, चुंगी, दुकान-कर, जंगल व खानों की आमदनी पर देख-रेख रखता था। जमीन-महसूल 16 से 25 प्रतिशत रहता था। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण जब अशोक ने लुंबिनी ग्राम को जमीन कर में रियायत दी थी तब उसका अनुपात साढ़े बारह प्रतिशत हो गया था। पुरानी खानों का ठीक से इन्तजाम करना, नयी खानों का पता चलाना, सरकारी जमीन की खेती का प्रबन्ध करना, वर्षा के पानी को नाप कर उसका रेकर्ड रखना इत्यादि काम भी माल-विभाग के अधीन थे।

Scanned with CamScanner

page-02

2. (2) कोष-विभाग :→ कोष विभाग का अधिकारी कोषाध्यक्ष या संनिधाता कहा जाता था। राज्य को कर के रूप में न केवल सोना, चाँदी या मुद्राएँ मिलती थी किन्तु अन्न-धान्य, ईंधन, तेल इत्यादि भी। इसलिए कोषाध्यक्ष का काम न केवल हिसाब-किताब करना एवं चाँदी-सोने को सुरक्षित रखना था, किंतु उसे पुरानी खाद्यादि-सामग्री बेचकर उसकी जगह नयी सामग्री इकट्ठा कर कोष में रखनी पड़ती थी। इस विभाग का एक कनिष्ठ अधिकारी गोप-गाँव की जनसंख्या एवं जानवर-संख्या की भी रेकार्ड रखता था। मौर्य-राज्य में समूचे राष्ट्र की जनसंख्या निर्धारण करने का जो आयोजन किया जाता था। उसका काम भी प्रबन्ध मानना कोष-विभाग से किया जाता था।

3. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग :→ मौर्य काल में वाणिज्य एवं उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान था। उसके द्वारा चीजों का थोक एवं खुदरा दाम निश्चित किया जाता था। आवश्यक वस्तुओं के आयात का प्रबन्ध करना, निषिद्ध वस्तुओं को मना करना, सरकारी कारखानों का माल बाजार में भेजना, जनता का नुकसान रोकने के लिए तौल-माप की निगरानी करना, चुंगी कर को निश्चित करना, उससे भ्रष्टाचारियों को दूर देना, दारू के उत्पादन एवं बिक्री का आयोजन करना, मांस-बिक्री पर निगरानी रखना, बन्दरगाहों की ठीक व्यवस्था करना, नदी नौकानयन का इन्तजाम करना - ये सब कार्य इस विभाग के अधीन था। कताई-एवं बुनाई का आयोजन करना भी इसी विभाग का काम था। रुई लोगों में बाँटी जाती थी एवं उनसे सूत खरीदा जाता था जिससे कपड़ा बनाया जाता था। ऐसी संभावना की जाती है कि टकसाल भी इसी विभाग की देख-रेख में करती हो।

4. न्याय विभाग :→ न्याय विभाग का कार्य न्यायदान करना था। दीवानी अदालतें (न्यायालय) 'धर्मस्थानीय' (कोर्ट) कहलाती थी। वे ऋण, इकरार, खरीद, बिक्री, विवाह, दायभाग, सीमा विवाद, इत्यादि के मुकदमों का निर्णय करती थी। फौजदारी अदालतों को कण्टकशोधन (कोर्ट) कहते थे। वे चोरी, हत्या, स्त्री संग्रहण, इत्यादि के मुकदमों पर विचार करती थी। मुख्य न्यायालय राजधानी में था, जिसका प्रमुख स्वयं राजा एवं उनकी अनुपस्थिति में प्राड्विवाक होता था। प्रांतों में, कमिश्नरियों में एवं

Scanned with CamScanner

3. जिलों में उनके अपने-अपने न्यायालय होते थे, जिस पर मुख्य न्यायालय नियंत्रण रखता था। धर्मस्थानीय न्यायालयों में और सरकारी मंच भी न्यायालय में सहायता देते थे। गाँवों में ग्राम-पंचायतें छोटी-छोटी मामलों में न्याय करती थी।

5. जेल या कारागार का प्रबन्ध :→ इसकी व्यवस्था मात्र न्याय विभाग द्वारा ही होता था। प्रायः छोटे अपराधों के लिए जुर्माना लगाया जाता था। बड़े अपराधों के लिए कारावास दिया जाता था। प्राचीन युग में अपराधों के लिए दण्ड के रूप में मृत्युदण्ड भी प्रचलित था। अहिंसावादी अशोक भी उसे नहीं रोक सका।

6. धर्म-विभाग → इस विभाग का अध्यक्ष राजपुरोहित होता था। वैदिक एवं स्मार्त यज्ञ करके राजा की उन्नति एवं पारलौकिक कल्याण का साधन उसका मुख्य कार्य था। राजा के दान-धर्म के विषय में भी इस विभाग को सलाह देनी पड़ती थी। जिन धर्म-महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने सर्वप्रथम की थी, वे भी इसी विभाग के अधीन काम करते थे। धर्म-संप्रदायों में पारस्परिक प्रेम संवर्द्धन करना, सदाचार को बढ़ावा देना, दरिद्रों, वृद्धों एवं अनाथों की मदद करना, कैदियों के कुटुम्बों की देख-भाल करना, मालिक एवं मजदूरी के झगड़े का निपटारा करना, इस विभाग का काम था।

7. गुप्तचर विभाग :→ चन्द्रगुप्त के शासन काल में गुप्तचर व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर के दो वर्ग संस्थान और संचारण का वर्णन किया गया है। संस्थान वर्ग के गुप्तचर एक स्थान पर रहते थे और उसी प्रकार संचारण वर्ग गुप्तचर के अन्तर्गत स्त्री और पुरुष दोनों थे और भ्रमण द्वारा मुख्य-मुख्य बातों का इकट्ठा करते थे। ये गुप्तचर छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर अमात्य के कार्यों का पता लगाते थे और भागे हुए अपराधी का पता लगाते थे।

8. डाक विभाग तथा पुलिस व्यवस्था → मौर्य साम्राज्य में संवाद भेजने के लिए एक जगह से दूसरे तक धावक का भी प्रबन्ध किया गया था। डाक पत्र भेजने के लिए हरकारों और सीखे हुए कबूतरों का भी प्रयोग किया जाता था।

Scanned with CamScanner

अधिकारियों को अपनी सीमाओं के सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था करना होता था।

मौर्य शासन पद्धति- सर्वरूपेण कल्याण भाव से प्रभावित थी। सर्व वर्ग की प्रजा का सर्वांगीण हित करना मुख्य योजना। विविध वर्गों के विरुद्ध हित-संबंधों का समन्वय करने में वह व्यस्त रहती थी। मौर्य शासन प्रणाली में दरिद्रों एवं अनाथ कामों मदद करता था। अनाथ बालक वृद्ध एवं रुग्णों को सरकार कुछ प्रत्य सहायता दी जाती थी। सरकार सार्वजनिक आरोग्य के लिए काफी सतर्क रहती थी। प्रत्येक घर के नाली के पानी, कूड़ा-करकट का उचित प्रबन्ध किया जाता था। रास्ते पर कूड़ा, गन्दी इत्यादि अपराध समझा जाता था। संक्रामक रोग रोकने के लिए पूरा प्रबन्ध किया जाता था। गाँव या नगर में बाढ़ एवं आग से बचाने के लिए सरकार सतर्क रहती थी। प्रजा के नैतिक उन्नति में बाधा न हो सरकार जुएबाजी मद्यपान एवं वेश्या-गमन पर नियन्त्रण रखती थी। शिक्षा एवं उन्नति के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था।

उपर्युक्त कार्यों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए सरकार हमेशा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोशिश करती रहती थी। खानों जंगलों, कारखानों, से आय बढ़ाई जाती थी। आर्थिक प्रगति के लिए प्रस्तुत भारत सरकार के समान मौर्य सरकार अपने निजी प्रयत्न पर तथा उद्योगपतियों के काम पर निर्भर रहती थी। उसकी आर्थिक नीति आज-कल के समान संमिश्रित थी। मजदूरों के भलाई के लिए उद्योगपतियों पर कुछ रोकें भी लगाई जाती थी।

अतः मौर्यशासन-व्यवस्था न केवल कार्यक्षम थी वरन उस युग के मानदण्ड से पुरोगामी भी थी। प्राचीन इतिहास में मौर्यकालीन शासन-पद्धति अधिक सक्षम एवं कार्यक्षम थी।

Dr. Birendra Prasad Singh
Associate Professor
Deptt. of AI&AS
Shershah College Sasaram.

Scanned with CamScanner